न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 133/2013

रज्जु दिनांकः 30/08/2013

निर्णय दिनांकः 14/07/2017

1. सोनी देवी धर्मपत्नि स्व0 श्री बालूराम जाति बलाई निवासी कुन्दनपुरा (कौशल्या दास की बावडी) तहसील फागी जिला जयपुर।
2. रामरतन पुत्र बालू जाति बलाई निवासी कुन्दनपुरा (कौशल्या दास की बावडी) तहसील फागी जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेश पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी कुन्दनपुरा (कौशल्या दास की बावडी) तहसील फागी जिला जयपुर।
2. जूहिया पाल धर्मपत्नि डॉ धर्मपाल सिंह जाति मेघवाल निवासी प्लाट नम्बर 20/119 कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर, जिला जयपुर।
3. विजय सिंह पटवारी हल्का पहाडिया तहसील फागी जिला जयपुर।
4. तहसीलदार/सब–रजिस्ट्रार महोदय फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री सीताराम सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

निर्णय दिनांकः 14/07/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 111, 125, 136 भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी का साबिका नम्बर 6 था कि वाके ग्राम पहाडिया तहसील फागी में स्थित था जिसके प्रार्थीगण एवं सह–खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज था एवं राजस्व

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त है उक्त आराजी के खसरा नम्बर 6 की नक्शे में तरमीम नही की गई थी एवं प्रार्थीगण दर्शाये नजीरे नक्शे अनुसार मार्क ए बी सी डी स्थान पर काबिज है एवं सरकारी लगान जमा कराते आ रहे है एवं सलग्न नजीरे नक्शा प्रार्थना पत्र का पुमुख अंग है। विवादग्रस्त आराजी का साबिका नम्बर 6 अप्रार्थी संख्या 3 बिना आदेश खसरा नम्बर 6/1 जो कि कजोड, श्रवण, मंगल पुत्राान घासी व नारायणी बेवा घासी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ था इसी प्रकार खसरा नम्बर 6/2 प्रार्थीगण सोनी देवी व रामरतन के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया व खसरा नम्बर 6/3 सुरेश पुत्र गंगाराम अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया था व खसरा नम्बर 6/4 अप्रार्थी संख्याा 2 के नाम दर्ज कर दिया गया था व खसरा नम्बर 6/5 बिरदी चन्द, नन्छीलाल, कन्हैयालाल पुत्रान नाथू हिस्सा 3/4 व बीली धर्मपत्नि नाथू के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज कर नक्शे में तरमीम कर दी गई। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 6 की तरमीम अप्रार्थी संख्या 3 ने बसाज अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मनमाने तरीके से नक्शे में तरमीम करते हुये मौके की वास्तविक कब्जे की स्थिति को अन्देखा करते हुये बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर बिना कब्जे की जांच किये एवं बिना पक्षकारान की सहमति के तरमीम करा दी जो वास्तविक कब्जे के आधार पर नक्शे में तरमीम न होने के कारण गलत है एवं उपरोक्त कारणो से तरमीम निरस्त किये जाने योग्य है एवं तरमीम विधि विधान के विपरीत है। संलग्न नजरी नक्शे अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा पूर्व से पश्चिम 6/5, 6/4, 6/3, 6/2, 6/1 करते हुये कर दी है जबकि मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार उक्त तरमीम पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 होनी चाहिये थी जो मुताबिक कब्जे अनुसार तरमीम थी प्रार्थीगण संलग्न नजरी नक्शे में 6/2 जिसमें मार्क ए बी सी डी में दर्शाया है के स्थान पर काबिज है उपरोक्त मार्क के अनुसार है नक्शे मौके में तरमीम होनी चाहिये थी इसलिये उक्त गलत तरमीम को दूरूस्त कराया जाना प्रार्थीगण के लिये परम आवश्यक हुआ है एवं नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का प्रमुख अंग है। प्रार्थीगण में उक्त तरमीम की जानकारी अभी हाल में दिनांक 08.08.2013 को हुई जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की बोई हुयी फसल तिल व ग्वार को काटकर ले गये एवं उक्त तरमीम के आधार पर हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्रांज हुयी आराजी को हम बैचान करेगे एवं तुम्हे कब्जे से बेदखल क़रने की ऐलानिया धमकी दी इसलिये अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण उक्त गलत तरमीम के आधार पर अपने कार्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को असहनीय हानि होगी एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी एवं खर्चे से जेरबार होगे जिसकी क्षतिपूर्ति की जाना असभंव होगा इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी कब्जे अनुसार नजरी नक्शा मार्क ए बी सी डी के अनुसार वास्तविक तौर पर काबिज चले आ रहे है व आराजी का साबिका नम्बर 6 हाल खसर नम्बर 6/2 के खातेदार काश्तकार है एवं दर्ज राजस्व रिकार्ड एवं मौके की वास्तविक स्थिति कब्जे अनुसार तरमीम न होने एवं गलत तरमीम होने के कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि कब्जे काश्त की यथास्थिति बनाये रख एवं गलत तरमीम के आधार पर आराजी का बेचान व प्रार्थीगण को बेदखल नही करें। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में वर्णित आराजी में मौके पर काबिज काश्त से प्रार्थीगणं को बेदखल नही करे एवं आराजी का बेचान नही करे एवं रहन, वैय, मुन्तकिल नही करें ।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा जवाब में बताया कि विवादग्रस्त आराजी का साबिक नम्बर 6 था जो कि वाके ग्राम पहाडिया, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित था सिके प्रार्थीगण एवं सह खातेदारो के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज था एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त होना स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 6/3 शा. न. 7/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा तथा अप्रार्थीया संख्या 2 खसरा नम्बर 6/4 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम पहाडिया, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपनी अपनी तरमीमशुदा कब्जेशुदा भूमि पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि से प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 6 की विधिवत तरमीम होने पर खसरा नम्बर 6/1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के खातेदार कजोड, श्रवण, मंगल, पिता घासी, नारायण बेवा घासी जाति बलाई साकिन देह, खसरा नम्बर 6/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार प्रार्थीगण सोनी देवी पत्नि बालू, रामरतन पुत्र बालू जाति बलाई साकिन देह, ख0नं0 6/3 शा.न. 7/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार सुरेश पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी कुन्दनपुरा, ख0नं0 6/4 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार जूहियावाल धर्मपत्नि धर्मपाल जाति मेघवंाल निवासी कावेरी पथ, जयपुर, ख0नं0 6/5 शा.न. 7/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार बिरदीचंद, नन्छीलाल, कन्हैयालाल पिता नाथू व बीला पत्नि नाथू जाति बलाई साकिन देह के रिकार्डेड काश्तकार है। प्रार्थीगण ने सभी सह खातेदारों को विधिवत पक्षकार कायम नही किया है। तरमीम व तकासमा के प्रार्थना पत्र में सह खातेदारों को पक्षकार कायम किया जाना आज्ञापक प्रावधान है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाई बाई लॉ होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजी ख0नं0 6/3 व 6/4 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरमीमशुदा खातेदारी भूमि है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को नाजायज हैरान परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 व 2 एवं अन्य सहखातेदारों का मौके पर वर्तमान में उक्त नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित तरमीम अनुसर कब्जा काश्त है एवं पूर्व में भी इसी प्रकार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रार्थीगण ने सह खातेदारों को पक्षकार बनाए बिना ही प्रार्थना पत्र तरमीम निरस्त करने एवं धारा 111, 125, 136 एल आर एक्ट का पेश किया है जो विधिवत चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकारों के ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ऐन केन प्रकारेण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में कब्जा करने की फिराक में है एवं जबरन खातेदारी भूमि में अवैध अतिक्रमण की आड में कब्जा करने की फिराक में है जिसका प्रार्थीगण को कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को यह कानूनी हक व अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को जरिये न्यायालय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दे कि वह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नजरी नक्शे में तरमीम अनुसार कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वयं करें तथा न ही हाली सीरी ऐजेन्ट सर्वेण्ट इत्यादि से करावें एवं किसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से की भूमि में जबरन अतिक्रमण नही करें। उक्त प्रार्थना पत्र तरमीम बाबत पेश किया है लेकिन सभी सह खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है इसलिए पक्षकारों के कुसंयोजन होने से पार्टीज ऑफ नुक्स होने से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जोन योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

नम्बर 6/3 व 6/4 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में प्रबल है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज फरमाया जाकर खर्चा विशेष अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दिलवाया जावें एवं प्रार्थीगण को पाबन्द फरमावे कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरमीमशुदा खातेदारी भूमि संलग्न नजरी नक्शे अनुसार काबिज भूमि में किसी प्रकार की दखल नही करे एवं निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न नही करें।

प्रार्थी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दिवानी का पेश कर वादग्रस्त भूमि की मौके की वास्तविक स्थिति मंगवाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दिवानी का जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस सुनने का निवेदन किया। जिस पर प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर भी वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गयी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 प्रकरण में अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने एवं अनावश्यक देरी करने के लिये प्रस्तुत किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दिवानी खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि का साबिक खसरा नम्बर 6 रहा है। जिसके प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बर 6 के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अलावा भी अन्य प्रभावित सीमान्त खातेदारो को पक्षकार कायम नही किया गया। जबकि पक्षकारान में मुख्य विवाद तरमीम को लेकर है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 6/3 व 6/4 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिये प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में प्रबल पाया जाता है। प्रार्थी ने तरमीम से प्रभावित सीमान्त खातेदारो को पक्षकार कायम नही किया है। इसलिये पक्षकारों के कुसंयोजन होने से पार्टीज ऑफ नुक्स होने से प्रार्थी का प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2017 को फॉलो अप केम्प न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प फागी में खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सावन कुमार [illegible]ल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर